<u>दिनांक 28.03.2026</u>

आज यह सिविल पुनरीक्षण, पुनरीक्षणकर्ता की ओर से द्वारा अधिवक्ता प्रस्तुत की गयी। मुंसरिम आख्या सहित प्रस्तुत। पेश होकर आदेश हुआ कि–

2. निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक हाण्डा उपस्थित हैं। केवियेटकर्ता/ प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री करन लाम्बा उपस्थित हैं। उनको नकलें प्रदान की जाय।

3. प्रस्तुत अपील, अवर न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज (सी0डि0), देहरादून द्वारा मूलवाद संख्या 53 वर्ष 2018 संजीव अग्रवाल बनाम नौशाद में पारित आदेश दिनांकित 13.02.2026 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

4. निगरानी परिसीमा अवधि के भीतर योजित की गई है। अंगीकृत की जाती है। दर्ज रजिस्टर हो। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के लिए नोटिस जारी हो। पैरवी अविलम्ब की जाय।

5. निगरानीकर्ता द्वारा स्टे प्रार्थना पत्र 5ग पर बल दिया गया है, जिस पर केवियेटकर्ता/ प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा आपत्ति हेतु समय चाहा गया है। ऐसी परिस्थिति में पत्रावली आपत्ति/सुनवाई स्टे प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 06.04.2026 को पेश हो। अभिलेख तलब किया जाय।

(प्रेम सिंह खिमाल)
जिला न्यायाधीश,
देहरादून।